न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—307/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/307)

1. घीसा लाल पुत्र श्री कल्याण
2. हगामी पुत्री श्री कल्याण
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. घीसा मृतक जरिए वारिसान
   1/1 भैरू पुत्र घीसा
   1/2 लादी पुत्री घीसा
   1/3 मोटा पुत्री घीसा
   समस्त जाति माली निवासी घटियाली तहसील सांवर जिला अजमेर।
2. मेवा पुत्र मूलाराम
3. नन्दसिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह
4. मनोहर सिंह पुत्र श्री मोडसिंह मृतक जरिए वारिसान
   4/1 पृथ्वीराज पुत्र मनोहर सिंह
   4/2 ऋषिराज पुत्र मनोहरसिंह
   4/3 गिरीराज पुत्र मनोहरसिंह
   4/4 ओमजी बाईसा पुत्री मनोहरसिंह
   4/5 पत्नी नामालूम
5. श्योजी पुत्र मूला जाति माली
6. कन्हैयालाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण
7. पन्नालाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण
8. गणेशसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपूत
9. धनराज पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपूत
10. बनवारीसिंह उर्फ बनवीर सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत
    समस्त निवासीगण घटियाली तहसील सांवर जिला अजमेर।
11. सुरेश पुत्र दशरथ जाति ब्राहमण निवासी कालेडा कंवरजी तहसील सांवर जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सांवर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 राजस्व वाद संख्या 13/2022 (2022/85)

उपस्थितः—

1. श्री गौतमचंद टांक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12
4. रेस्पोडेंट संख्या 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 17.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 (2022/85) में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात वाके ग्राम घटियाली पटवार हल्का घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। विवादित आराजीयात में वर्तमान विपक्षीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 (2022/85) में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 11 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.7.2022 की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी नहीं थी। चूंकि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 27.7.2022 में स्पष्टतः लिख रहे है कि बरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेन्टगण), अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) को सुना गया जबकि उपखण्ड अधिकारी, केकडी न्यायालय की फर्द अहकाम् दिनांक 5.7.2022 में बरवक्त बहस यह लिखा जा रहा है कि पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेन्टगण) के अधिवक्ता उपस्थित टी.डी.आर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इन्हें न्यायालय द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर दिलवाई गई व अंतिम आवाज सांयः 4:30 बजे दिलवाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27.7.2022 को पेश हो तथा उपखण्ड अधिकारी, केकडी की फर्द अहकाम दिनांक 27.7.2022 में प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) के अधिवक्ता को उपस्थित बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश अंकन किया जाता है विस्तृत आदेश में यह लिखा जाता है कि "प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) तथा अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) को सुना गया" जबकि दिनांक 5.7.2022 की फर्द अहकाम में अप्रार्थीगण (अपीलांटगण) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश है जिससे उपखण्ड अधिकार, केकडी का आदेश एकतरफा होने से वर्तमान प्रार्थीगण को उक्त आदेश

की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थीगण को अभी हाल में ही दिनांक 10.6.2025 को वर्षा का आगमन होने से अपनी खेतों की जुताई करने गया तब विपक्षीगण द्वारा उसे खेतों की जुताई से रोका गया तथा कहा कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 27.7.2022 के तहत हमें आपकी खातेदारी आराजीयात में विवादित खसरान बाबत् रास्ता दे दिया गया है तथा उस रास्ते पर वर्तमान प्रार्थीगण कृषि कार्य नहीं करेगा तथा कृषि कार्य करने से उन्हें रोका गया तत्पश्चात वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के दिनांक 27.7.2022 की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 16.6.2025 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनाक 27.7.2022 की सत्यप्रति प्राप्त कर दिनांक 23.6.2025 को अजमेर आकर आवश्यक कागजात व प्रकरण से संबधित आदेश लेकर तथा अपील पेश करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर अपने समस्त दस्तावेज अभिभाषक को देकर अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जहां प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ़ हो तो वहां पर मियाद का बिन्दु कन्डोन किया जाना चाहिए यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। प्रकरण में प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात हुआ है इस आधार पर मियाद के बिन्दु पर नरम रूख बरतते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार

उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि बरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेन्टगण), अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) को सुना गया जबकि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी न्यायालय की फर्द अहकाम् दिनांक 5.7.2022 में बरवक्त बहस यह लिखा जा रहा है कि पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेन्टगण) के अधिवक्ता उपस्थित टी.डी.आर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इन्हें न्यायालय द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर दिलवाई गई व अंतिम आवाज सांयः 4:30 बजे दिलवाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27.7.2022 को पेश हो तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी की फर्द अहकाम दिनांक 27.7.2022 में प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) के अधिवक्ता को उपस्थित बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश अंकन किया जाता है विस्तृत आदेश में यह लिखा जाता है कि "प्रार्थीगण (वर्तमान विपक्षीगण) तथा अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) को सुना गया" जबकि दिनांक 5.7.2022 की फर्द अहकाम में अप्रार्थीगण (अपीलांटगण) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश है जो कि स्पष्टतया उपखण्ड अधिकारी, केकडी की अवैधानिकता को दर्शाता है तथा किस तरह से वर्तमान अपीलांटगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध जाते हुए न्यायिक कार्य को गलत रूप से अंजाम दिया गया है तथा वर्तमान विपक्षीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से विस्तृत आदेश लिखते वक्त वर्तमान अपीलांटगण की एकतरफा कार्यवाही को भी उपस्थिति में दर्ज किया गया है इस कारण से उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का आदेश दिनांक 27.7.2022 वर्तमान रेस्पोडेन्टगण को फायदा पहुंचाने के गरज से किया हुआ आदेश होने के कारण से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार यह आवश्कयता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है जबकि उपरोक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष खसरा संख्या 2726, 2727, 2731, 2732 से वर्तमान विपक्षीगण कदीमी काल से आते–जाते रहे है इसका अंकन निर्णय में भी आया है तथा वर्तमान विपक्षीगण के पास पहले से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था फिर भी टी.डी.आर केकड़ी ने विधि विरूद्ध मौका रिपोर्ट प्रकरण में पेश की तथा मौके पर मौजूद वैकल्पिक मार्ग का अंकन अपनी मौका रिपोर्ट में नही किया, इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों

के विपरीत की, तथा पहले से मौजूद वैकल्पिक मार्ग वर्तमान विपक्षीगण के पास मौजूद होने के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा वर्तमान विपक्षीगण का धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की मंशा के खिलाफ निर्णय दिया जो कि विधि से परे जाकर दिये गये निर्णय की श्रेणी में आने के कारण से निर्णय दिनांक 27.7.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में मौका रिपोर्ट जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा पेश की गई उक्त रिपोर्ट में पक्षकार की उपस्थिति बाबत् कार्यवाही तथा वर्तमान विपक्षीगण की बरवक्त मौका रिपोर्ट उपलब्ध होने का प्रमाण भी संदिग्ध है तथा प्रकरण में जिस तरह से टी.डी.आर केकड़ी ने रिपोर्ट दी है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियम 69 से 72 नियमों की परिधि से विपरीत है। टी.डी.आर केकडी की मौका रिपोर्ट में मात्र वर्तमान विपक्षीगण द्वारा मांगे गए रास्ते खसरा नंबर 2747, 2748, 2752 जिसकी खातेदारी वर्तमान विपक्षीगण का बताते हुए आराजी खसरा नंबर 2771 में 0.05 रकबा, 2770 रकबा 0.19 व 2744 रकबा 0.61 हैक्ट में से क्रमशः 2771 में से 0.006 हैक्ट, 2770 0.03 हैक्ट रकबा 0. 19 व 2744 में से 0.04 हैक्ट. खातेदारी में रास्ता स्वीकृत किया है। उसी प्रस्तावित रास्ते में संदर्भ में ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार केकडी ने पेश की जबकि पूर्व में ही प्रकरण में खसरा नंबर 2777 गै.मु.रास्ते में से वर्तमान विपक्षीगण के पास खसरा संख्या 2726, 2727, 2731 तथा खसरा संख्या 2732 से कदीमी काल से आते–जाते आ रहे है, उस बाबत् टी.डी.आर केकडी ने उक्त बाबत् प्रकरण संज्ञान नहीं लिया, ना ही उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने उक्त बाबत् प्रकरण पहले से मौजूद रास्ते का कानून नहीं देखा मात्र वर्तमान विपक्षीगण के चाहे गए रास्ते बाबत् उन्हें निर्णय देना था, जिसे उन्होंने दिनांक 27.7.2022 के माध्यम से वर्तमान विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा दिया, जो कि कतई न्याय की मंशा नहीं थी, ना ही न्यायोचित था इस कारण उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2022 काबिल निरस्तनीय है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वर्तमान विपक्षीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र संख्या 68/2019 के पैरा संख्या 4 में यह उज्र लिया जा रहा है कि जो रास्ता अंकित किया है नजरी नक्शे के द्वारा जो कि उनके पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है तथा कृषि साधन उपज ले जाते है, तथा बिंदु संख्या 6 में यह निवेदन किया है वर्तमान अपीलांटगण ने आने–जाने का रास्ता रोक दिया है जो कि उनको कोई अधिकार नहीं है तथा बिंदु संख्या 8 प्रार्थना पत्र पेश करने का उत्पन्न कारण/उदय कारण कदीमी रास्ते को अवरूद्ध किये जाने से प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र जो कि वर्तमान अपीलांटगण ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष धारा 251 ए की मंशा के अनुसार पेश किया जो कि कतई 251 ए इन्टीग्रेडस् में फिट नहीं बैठता है. क्योकि वर्तमान विपक्षीगण कदीमी काल से रास्ते का उपयोग कर है तथा बंद रास्ते को खुलवाने बाबत् 251 ए के तहत वर्तमान विपक्षीगण ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष 251 ए का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि कतई उनके समक्ष संधारण योग्य नहीं था और ना ही कतई न्यायोचित था जबकि विधि में स्पष्ट प्रावधान को खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष लगता है जबकि तहसीलदार के समक्ष वर्तमान विपक्षीगण द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था तो उसकी प्रति प्रकरण के साथ पेश क्यों नही की गई, अगर तहसीलदार द्वारा मना

किया गया है तो उक्त आदेश की प्रति भी प्रकरण के साथ क्यों नहीं शामिल मिसल है मात्र मौखिक आधार पर उक्त गलत तथा अवैधानिक उज्रों का सहारा लेकर प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा लिया जाकर न्यायालय को गुमराह किया जाकर जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा दिनांक 27.7.2022 पारित करवाया है जो कि कतई न्यायोचित नहीं होने से अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 (2022/85) में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2771, 2770, 2744 से होकर चाहा गया। प्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर जाता है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही लेते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेत पर जाने हेतु बैल, गाडी, मवेशी लाते ले जाते है प्रार्थीगण कदीम से ही रास्ता पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में से संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर जाता है अपनी आराजीयात में आने जाने के उपयोग में लेते चले आ रही है अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष उक्त रास्ता पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में से संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर रास्ता देने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता देने से मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण को प्रार्थी को अपने खातेदारी की आराजी पर आने जाने से रोकने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु अप्रार्थी संख्या 4 ने कहा कि कोर्ट आदेश लेकर आओ। अतः वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में से संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित रास्ता ए से बी में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध कराया जावे, जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 4 को आदेश दिया जावे कि पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु 20 फीट चौडे आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। उक्त 20 फीट चौडे आम रास्ते हेतु खर्चा प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर है जिस हेतु निर्णय किए जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन

पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.07.2022 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा स्वयं की आराजीयात ग्राम घटियाली खसरा नम्बर 2747, 2748, 2752 में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट की आराजीयात खसरा नम्बर 2771, 2770, 2744 में से 20 फीट चौडे रास्ते हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह पाया कि दिनांक 05.07.2022 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई व दिनांक 27.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। इन समस्त तथ्यों से वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में विरोधाभास उत्पन्न होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा नम्बर 2771, 2770 व 2744 में से रास्ता कायमी के आदेश पारित किए गए है, जो कि अप्रार्थीगण/अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है, परंतु अधीनस्थ न्यायलय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को प्रकरण में बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

दिनांक 20.05.2022 को भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका रिपोर्ट बाबत किसी प्रकार की सूचना अप्रार्थी/अपीलांट्स को प्रेषित नहीं की गई है, अतः मौका रिपोर्ट अप्रार्थी/अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में खसरा नम्बर 2726, 2727, 2731 व 2732 में से 5 फीट रास्ता दिए जाने बाबत कथन किए गए है व उक्त रास्ते पर ओंकार पुत्र माधू व गंगाराम पुत्र सुन्दरा माली द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध किए जाने बाबत भी बताया गया है। परंतु भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में इस रास्ते बाबत कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है कि वर्तमान में उक्त रास्ते की क्या स्थिति है, क्या इस रास्ते से लगते हुए अन्य खसरों से

भी रास्ता दिया जा सकता है या नहीं इस बाबत अपनी मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में इस बिंदु को भी नजरअंदाज किया कि जिन खसरों से रास्ता दिया जा रहा है उनका रकबा बहुत ही कम है तथा नजरी नक्शे के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि रास्ता तीनों खसरों के बीच में से दिया गया है, जिससे आराजीयात का विखण्डन हुआ है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 20 फीट चौडे रास्ते बाबत अनुतोष चाहा गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायायल के निर्णय व मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 2771, 2770 व 2744 में से कितने फिट चौडा रास्ता दिया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 (2022/85) में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में दिए गए रास्ते की चौडाई का भी अंकन कर प्रकरण में पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर